



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

क्रमांक / 3433/PBR/15

प्रकरण क्रमांक

/2015 पुनरीक्षण

श्री. श्री. प्रदीप कुमार शीवाचर  
द्वारा आज दि. 23.10.15 को  
प्रस्तुत  
कलौता ऑफिस कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
23-10-15

बद्रीलाल पुत्र हरीसिंह आयु- 51  
व्यवसाय- कृषि निवासी- ग्राम  
जलोधिया पन्त, तहसील देपालपुर,  
जिला इन्दौर, म०प्र० — आवेदक

बनाम

1. श्री कलौता समाज कल्याण ट्रस्ट द्वारा  
अध्यक्ष दयाराम पुत्र ओमकार जी  
परिहार आयु- 76 साल व्यवसाय-  
वकालत, निवासी- ग्राम जलोधिया  
पन्त, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर,  
म०प्र०
2. म०प्र० शासन — अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता  
1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 14/08/2015 पारित द्वारा  
अपर आयुक्त महोदय इन्दौर सम्भाग इन्दौर प्रकरण  
क्रमांक 196/अपील/2014-15 व उनवान बद्रीलाल  
बनाम कलौता समाज ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

S. K. Sharma  
12

R3433P B2/ 15 ईका

वकीलता / उल्लेख समाप्त

11-5-2017

आवेदन वकीलता के लिये उपाधिक  
आवेदन क्रमांक 1 की ओर व श्री एस.के.के.  
वाजपेयी अधिभाषक व आवेदन क्रमांक 2  
की ओर व श्री वी.एस. त्यागी अधिभाषक  
उपाधिक आवेदन के विवेक किया कि  
वह प्रमाण नहीं प्रस्तुत करता है।  
अनुवेद्य स्वीकार किया जाता है।  
इसलिए वकीलता के कारण समाप्त किया  
जाता है।

17-5  
Not processed  
11-5-2017

*[Signature]*

*[Signature]*  
अ.एस.